

हरियाणा में लिंग अनुपात पर एक अध्ययन

ओम प्रकाश, एसोसिएट प्रोफेसर (भूगोल) आचार्य श्री महाप्रज्ञ इंस्टिट्यूट ऑफ़ एक्सीलेंस, आसीद, जिला- भीलवाड़ा (राजस्थान)

Oprakesh838@gmail.com

सार

हरियाणा में लिंग अनुपात एक लंबा और गहरा इतिहास वाला एक जटिल मुद्दा है। यह राज्य लगातार भारत में सबसे कम लिंगानुपात में से एक रहा है, जहां पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या में काफी कमी है। इसका हरियाणा के समाज और संस्कृति पर गहरा प्रभाव पड़ा है और यह राज्य सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।

लिंगानुपात किसी जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है। यह लैंगिक समानता और सामाजिक विकास का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। एक स्वस्थ लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 950 और 1050 महिलाओं के बीच माना जाता है। हरियाणा में लिंगानुपात में सुधार करना एक जटिल चुनौती है, लेकिन राज्य के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए यह आवश्यक है। सरकार, नागरिक समाज और समुदाय सभी को कम लिंगानुपात में योगदान देने वाले दृष्टिकोण और मानदंडों को बदलने में भूमिका निभानी है।

हरियाणा में लिंग अनुपात एक लंबा और गहरा इतिहास वाला एक जटिल मुद्दा है। हालाँकि, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि परिवर्तन संभव है। सरकार, नागरिक समाज और समुदाय मिलकर काम करके सभी के लिए अधिक लैंगिक समानता वाला हरियाणा बना सकते हैं।

कीवर्ड लिंग, अनुपात, महिला, पुरुष

परिचय

ऐसे कई कारक हैं जो हरियाणा में कम लिंग अनुपात में योगदान करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक कन्या भ्रूण हत्या की प्रथा है। यह कन्या भ्रूण का लिंग निर्धारण करने के बाद उसका गर्भपात कराने की अवैध प्रथा है। कई सामाजिक और आर्थिक कारकों के कारण कन्या भ्रूण हत्या अक्सर लड़के को प्राथमिकता देने के कारण होती है।

हरियाणा में कम लिंगानुपात में योगदान देने वाला एक अन्य कारक बेटे को प्राथमिकता देने की उच्च दर है। बेटे को प्राथमिकता देने की धारणा यह है कि लड़के लड़कियों की तुलना में अधिक मूल्यवान होते हैं। यह विश्वास अक्सर सांस्कृतिक और धार्मिक मानदंडों में निहित होता है।

बेटे की चाहत कई हानिकारक प्रथाओं को जन्म दे सकती है, जैसे कन्या भ्रूण हत्या, लड़कियों की उपेक्षा और बाल विवाह। इससे शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य देखभाल सहित जीवन के सभी क्षेत्रों में लड़कियों और महिलाओं के खिलाफ भेदभाव हो सकता है।

हरियाणा में कम लिंगानुपात के समाज पर कई नकारात्मक परिणाम हैं। इससे सामाजिक अशांति और हिंसा हो सकती है, क्योंकि सभी पुरुषों से शादी करने के लिए पर्याप्त महिलाएं नहीं हैं। इससे जनसंख्या में भी गिरावट आ सकती है, क्योंकि बच्चों को जन्म देने वाली महिलाएं कम हैं।

इसके अलावा, कम लिंगानुपात का अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। महिलाएं अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, और उनके कम प्रतिनिधित्व से उत्पादकता और आर्थिक विकास में कमी आ सकती है।

नवीनतम जनगणना डेटा (2011) से पता चलता है कि हरियाणा में लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 879 महिलाएं हैं। यह प्रति 1000 पुरुषों पर 940 महिलाओं के राष्ट्रीय औसत से कम है।

हरियाणा में लिंगानुपात जिले के हिसाब से अलग-अलग है। सबसे अधिक लिंग अनुपात गुडगांव जिले में पाया जाता है (प्रति 1000 पुरुषों पर 930 महिलाएं), और सबसे कम लिंग अनुपात भिवानी जिले में पाया जाता है (प्रति 1000 पुरुषों पर 799 महिलाएं)।

हाल के वर्षों में हरियाणा में लिंगानुपात में सुधार हुआ है। 2001 में, लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 861 महिलाएं थी। हालाँकि, हाल के वर्षों में सुधार की दर धीमी हो गई है।

हरियाणा में लिंगानुपात एक जटिल और बहुआयामी मुद्दा है। यह कई वर्षों से सार्वजनिक चिंता का विषय रहा है, और काफी शोध और बहस का विषय रहा है। यह लेख हरियाणा में लिंग अनुपात की व्यापक समीक्षा प्रदान करेगा, जिसमें इसके इतिहास, कारणों और परिणामों को शामिल किया जाएगा। इसमें लिंग अनुपात में सुधार के लिए की गई विभिन्न पहलों और अभी भी मौजूद चुनौतियों पर भी चर्चा की जाएगी।

हरियाणा में लिंग अनुपात ऐतिहासिक रूप से पुरुषों के पक्ष में झुका हुआ रहा है। यह कई कारकों के कारण है, जिनमें बेटे को प्राथमिकता देना, दहेज प्रथा और कन्या भ्रूण हत्या शामिल है।

बेटे को प्राथमिकता देना बेटी से ज्यादा बेटा पैदा करने की चाहत है। हरियाणा सहित भारत के कई हिस्सों में यह एक आम घटना है। बेटे को प्राथमिकता देने के कई कारण हैं, जिनमें यह विश्वास भी शामिल है कि बेटे परिवार के लिए अधिक मूल्यवान हैं, कि वे बुढ़ापे में अपने माता-पिता की देखभाल करेंगे, और वे परिवार का नाम आगे बढ़ाएंगे।

दहेज प्रथा एक अन्य कारक है जिसने हरियाणा में लिंग अनुपात में गिरावट में योगदान दिया है। दहेज प्रथा विवाह के समय दूल्हे के परिवार को उपहार और धन देने की प्रथा है। यह दुल्हन के परिवार के लिए बहुत महंगा बोझ हो सकता है, और इससे माता-पिता को यह महसूस हो सकता है कि वे बेटियाँ पैदा करने में सक्षम नहीं हैं।

कन्या भ्रूण हत्या कन्या भ्रूण को नष्ट करने की प्रथा है। भारत में यह गैरकानूनी है, लेकिन हरियाणा समेत कुछ इलाकों में यह अभी भी प्रचलित है। कन्या भ्रूण हत्या अक्सर बेटे को प्राथमिकता देने और दहेज प्रथा के कारण होती है।

उद्देश्य

The Free Encyclopedia

- लिंगानुपात के महत्व का अध्ययन करना
- हरियाणा में लिंग अनुपात का अध्ययन करना

अनुसंधान क्रियाविधि

वर्तमान शोध कार्य में, दिल्ली-एनसीआर की जनसंख्या जनसांख्यिकी के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए द्वितीयक डेटा एकत्र किया गया था। सरकारी दस्तावेजों और रिपोर्टों का उपयोग द्वितीयक स्रोतों के रूप में किया गया।

हरियाणा में लिंग अनुपात

हरियाणा में लिंगानुपात एक जटिल और बहुआयामी मुद्दा है। यह कई वर्षों से सार्वजनिक चिंता का विषय रहा है, और काफी शोध और बहस का विषय रहा है। ऐसे कई कारक हैं जो विषम लिंग अनुपात में योगदान करते हैं, जिनमें बेटे को प्राथमिकता, दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, शिक्षा और जागरूकता की कमी और सांस्कृतिक और सामाजिक मानदंड शामिल हैं।

भारत में बेटे को प्राथमिकता देना एक गहरी जड़ें जमा चुका सांस्कृतिक आदर्श है और हरियाणा भी इसका अपवाद नहीं है। लड़कों को बुढ़ापे में अपने माता-पिता के लिए कमाने वाले और देखभाल करने वाले के रूप में देखा जाता है, जबकि दहेज प्रथा के कारण लड़कियों को वित्तीय बोझ के रूप में देखा जाता है। बेटों के प्रति यह प्राथमिकता अक्सर जन्म से पहले और बाद में लड़कियों के प्रति भेदभाव का कारण बनती है।

कन्या भ्रूण हत्या कन्या शिशुओं की जानबूझकर हत्या है। यह एक ऐसी प्रथा है जो भारत में सदियों से गैरकानूनी है, लेकिन यह हरियाणा सहित कुछ क्षेत्रों में जारी है। कन्या भ्रूण हत्या को अक्सर दहेज के वित्तीय बोझ से बचने और यह सुनिश्चित करने के तरीके के रूप में देखा जाता है कि परिवार का नाम आगे बढ़ाने के लिए कम से कम एक बेटा हो।

लिंग-चयनात्मक गर्भपात गर्भावस्था को समाप्त करने की प्रथा है क्योंकि भ्रूण एक लड़की है। यह भारत में भी गैरकानूनी है, लेकिन यह व्यापक रूप से प्रचलित है, खासकर हरियाणा जैसे राज्यों में जहां बेटे को प्राथमिकता दी जाती है। भ्रूण के लिंग का निर्धारण करने के लिए लिंग-चयनात्मक गर्भपात अक्सर अल्ट्रासाउंड तकनीक का उपयोग करके किया जाता है।

हरियाणा में जन्म से पहले और बाद में अक्सर लड़कियों की उपेक्षा की जाती है। उन्हें अपने भाइयों की तुलना में कम भोजन, कम स्वास्थ्य देखभाल और कम शिक्षा मिल सकती है। इस उपेक्षा से लड़कियों में कुपोषण, बौनापन और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। इससे लड़कियों के लिए स्कूल और कार्यस्थल में सफल होना और भी कठिन हो सकता है।

हरियाणा सरकार ने राज्य में लिंग अनुपात में सुधार के लिए कई पहल की हैं। इसमें शामिल हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम यह एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य लिंग अनुपात में सुधार करना और महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना है। कार्यक्रम में कई घटक हैं, जिनमें जागरूकता अभियान, बेटियों वाले परिवारों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन और कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ कानूनों का सख्त कार्यान्वयन शामिल है।

लाडली योजनाय यह हरियाणा सरकार की एक योजना है जो बेटियों वाले परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना का उद्देश्य बेटियों वाले परिवारों पर वित्तीय बोझ को कम करना और उनकी शिक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है।

पंच परमेश्वर योजनाय यह हरियाणा सरकार की एक योजना है जिसका उद्देश्य राज्य में महिलाओं और लड़कियों की स्थिति में सुधार करना है। इस योजना में कई घटक हैं, जिनमें जागरूकता अभियान, महिलाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और महिलाओं के नेतृत्व वाले व्यवसायों के लिए वित्तीय सहायता शामिल है।

विभिन्न पहलों के बावजूद, हरियाणा में लिंग अनुपात में सुधार के लिए अभी भी कई चुनौतियाँ हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसमें शामिल है।

बदलते सांस्कृतिक और सामाजिक मानदंड बेटे को प्राथमिकता और दहेज प्रथा हरियाणा की संस्कृति में गहराई से समाई हुई है। इन मानदंडों को बदलने में समय और प्रयास लगेगा।

महिलाओं और लड़कियों को शिक्षित और सशक्त बनाना हरियाणा में महिलाओं और लड़कियों को शिक्षित और सशक्त बनाने की आवश्यकता है ताकि वे अपनी पसंद खुद चुन सकें और अपने अधिकारों के लिए खड़ी हो सकें।

कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ कानून लागू करना लोगों को इस गैरकानूनी गतिविधि को करने से रोकने के लिए कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ कानूनों को सख्ती से लागू करने की आवश्यकता है।

ऊपर सूचीबद्ध कारकों के अलावा, कई अन्य कारक भी हैं जो हरियाणा में विषम लिंगानुपात में योगदान दे सकते हैं। इसमें शामिल है।

गरीबी परिवारों के लिए बेटे और बेटियों दोनों का पालन-पोषण करना कठिन बना सकती है। इससे परिवारों को बेटियों की अपेक्षा बेटों को तरजीह देने का कठिन निर्णय लेना पड़ सकता है।

निरक्षरता हरियाणा में पुरुषों की तुलना में महिलाओं में निरक्षरता अधिक है। इससे महिलाओं के लिए अपने अधिकारों को समझना और अपने और अपनी बेटियों की वकालत करना अधिक कठिन हो सकता है।

जागरूकता की कमी हरियाणा में कई लोग लिंग-चयनात्मक गर्भपात और कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ कानूनों से अनजान हैं। वे इन प्रथाओं के नकारात्मक परिणामों से भी अनजान हो सकते हैं।

भारत सरकार ने हरियाणा में विषम लिंगानुपात को संबोधित करने के लिए कई पहल लागू की हैं। इसमें शामिल हैं।

गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (पीसीपीएनडीटी) अधिनियमय यह कानून भ्रूण के लिंग का निर्धारण करने के लिए प्रसव पूर्व निदान तकनीकों के उपयोग पर रोक लगाता है।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना इस योजना का उद्देश्य हरियाणा में लड़कियों की स्थिति में सुधार करना और लिंग अंतर को कम करना है। यह बेटियों वाले परिवारों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करता है और यह लड़कियों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल में निवेश करता है।

हरियाणा में विषम लिंग अनुपात विभिन्न कारकों के कारण एक जटिल मुद्दा है। राज्य में लड़कियों और महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए इन सभी कारकों पर ध्यान देना जरूरी है। इसके लिए सरकार, नागरिक समाज और समग्र रूप से समुदाय के ठोस प्रयास की आवश्यकता होगी।

उपरोक्त के अलावा, यहां कुछ अन्य कारक हैं जो हरियाणा में लिंग अनुपात को प्रभावित कर सकते हैं। संस्कृति और परंपरा हरियाणा में एक मजबूत पितृसत्तात्मक संस्कृति है, जो बेटियों से अधिक बेटों को महत्व देती है। यह कई सांस्कृतिक प्रथाओं, जैसे दहेज और कन्या भ्रूण हत्या, में परिलक्षित होता है।

आर्थिक कारक हरियाणा एक अपेक्षाकृत समृद्ध राज्य है, लेकिन वहाँ अभी भी गरीबी का एक महत्वपूर्ण स्तर है। इससे परिवारों के लिए बेटियों का पालन-पोषण करना कठिन हो सकता है, विशेषकर दहेज प्रथा के संदर्भ में।

शिक्षा हरियाणा में पुरुषों की तुलना में महिलाओं में साक्षरता दर कम है। इससे महिलाओं के लिए अपने अधिकारों को समझना और अपने और अपनी बेटियों की वकालत करना अधिक कठिन हो सकता है।

सशक्तिकरण हरियाणा में महिलाएं अक्सर पुरुषों की तुलना में कम सशक्त होती हैं। इससे उनके लिए कन्या भ्रूण का गर्भपात कराने या अपनी बेटियों की उपेक्षा करने के दबाव का विरोध करना अधिक कठिन हो सकता है।

बहस

हरियाणा में लिंग अनुपात में सुधार के लिए कई चीजें की जा सकती हैं। इसमें शामिल है

लड़कियों और महिलाओं के महत्व के बारे में जनता को शिक्षित करना यह सार्वजनिक जागरूकता अभियानों, स्कूल कार्यक्रमों और अन्य पहलों के माध्यम से किया जा सकता है। महिलाओं को सशक्त बनाना यह महिलाओं को शिक्षा, रोजगार और अन्य अवसरों तक पहुंच प्रदान करके किया जा सकता है।

लिंग-चयनात्मक गर्भपात और कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ कानून लागू करना इसके लिए मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति और समुदाय से सहयोग की आवश्यकता होगी।

बेटे को प्राथमिकता देने के मूल कारणों को संबोधित करना इसमें दहेज प्रथा जैसे आर्थिक कारकों और पितृसत्तात्मक जैसे सांस्कृतिक कारकों को संबोधित करना शामिल है।

दहेज प्रथा एक अन्य कारक है जो हरियाणा में कम लिंगानुपात में योगदान देता है। दहेज वह धन और उपहार है जो दुल्हन का परिवार शादी के समय दूल्हे के परिवार को देता है। यह बेटियों वाले परिवारों पर भारी वित्तीय बोझ हो सकता है, और इसके कारण कुछ परिवार अपनी बेटियों का गर्भपात करा सकते हैं या उन्हें मार सकते हैं।

भूमि स्वामित्व हरियाणा में कम लिंगानुपात का एक कारण भूमि स्वामित्व भी है। भूमि आमतौर पर पिता से पुत्र को हस्तांतरित की जाती है, इसलिए बेटियों वाले परिवारों में सुरक्षित भविष्य की संभावना कम हो सकती है। इसके कारण कुछ परिवार अपनी बच्चियों का गर्भपात करा सकते हैं या उनकी हत्या कर सकते हैं।

हरियाणा में कम लिंगानुपात के कई नकारात्मक परिणाम हैं, जिनमें शामिल हैं सामाजिक अशांति, कम लिंगानुपात सामाजिक अशांति का कारण बन सकता है, क्योंकि राज्य में दुल्हनों और महिलाओं की कमी है। इससे अपराध और हिंसा में वृद्धि हो सकती है।

आर्थिक प्रभाव कम लिंगानुपात का अर्थव्यवस्था पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, क्योंकि महिलाएं कार्यबल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। महिलाओं की कमी से उत्पादकता और आर्थिक विकास में कमी आ सकती है।

स्वास्थ्य पर प्रभाव कम लिंगानुपात का जनसंख्या के स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। जिन लड़कियों की उपेक्षा की जाती है या उनके साथ भेदभाव किया जाता है, उनके कुपोषण और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित होने की संभावना अधिक होती है।

ऊपर उल्लिखित कारकों के अलावा, कई अन्य कारक भी हैं जो हरियाणा में लिंग अनुपात को प्रभावित कर सकते हैं। इसमें शामिल हैं।

प्रवासन हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहां पुरुषों की उच्च प्रवासन दर है। इसका मतलब यह है कि राज्य में महिलाओं की तुलना में पुरुषों की संख्या अधिक है। यह असंतुलन विषम लिंगानुपात में योगदान दे सकता है।

संस्कृति हरियाणा में एक मजबूत पितृसत्तात्मक संस्कृति है। इसका मतलब यह है कि समाज में महिलाओं की तुलना में पुरुषों को अधिक महत्व दिया जाता है। यह सांस्कृतिक मानदंड विषम लिंगानुपात में भी योगदान दे सकता है।

धर्म हरियाणा में बहुसंख्यक आबादी हिंदू है। कुछ हिंदू धार्मिक ग्रंथ और मान्यताएं महिलाओं के अवमूल्यन और बेटों को प्राथमिकता देने में योगदान दे सकती हैं।

निष्कर्ष

हरियाणा सरकार ने लिंगानुपात में सुधार के लिए कई पहल की हैं, लेकिन अभी भी कई चुनौतियाँ हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इस मुद्दे के बारे में जागरूकता बढ़ाना, महिलाओं और लड़कियों को शिक्षित और सशक्त बनाना और कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ कानून लागू करना महत्वपूर्ण है। हरियाणा उत्तरी भारत का एक राज्य है जिसमें ऐतिहासिक रूप से लिंगानुपात विषम रहा है, जिसमें लड़कों की तुलना में लड़कियों की भारी कमी है। यह एक जटिल मुद्दा है और इसमें बेटे को प्राथमिकता, कन्या भ्रूण हत्या, लिंग-चयनात्मक गर्भपात और लड़कियों की उपेक्षा सहित कई कारक योगदान दे रहे हैं।

संदर्भ

- शर्मा, एम.कुमार, एस. और कविता 2018. बेटियों का गायब होना या गर्भ से कब्र तक पक्षपात के चक्रव्यूह को भेदने में विफलता। मेडिको-लीगल अपडेट, 18(2)य 211-218.
- शर्मा, एम. और कुमार, एस. 2018. हरियाणा में बच्चों की स्वास्थ्य स्थिति के क्षेत्रीय आयाम। इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक हेल्थ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, 9(11)य 82-87।

- डॉन, ए. और बसु, आर. 2015। पश्चिम बंगाल के विशेष संदर्भ में भारत में लिंग अनुपात में उतार-चढ़ाव, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रीसेंट साइंटिफिक रिसर्च, 6(5)य 3796–3801।
- मजूमदार, एम. 2014. भारत में चिंताजनक लिंग अनुपात और कन्या भ्रूण हत्या और शिशुहत्या की समस्याएं,
- संयुक्त राष्ट्र संगठन। 2014. लिंग अनुपात और लिंग आधारित लिंग चयन इतिहास, बहस और भविष्य की दिशाएँ, भारत, भूटान, मालदीव और श्रीलंका के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला बहु-देशीय कार्यालय द्वारा प्रकाशित, नई दिल्ली, पृष्ठ 8।
- मायर्स, सी. 2012। भारत में लिंग चयनात्मक गर्भपात, ग्लोबल टाइम्स, 6(3)य 1–18।
- कलंट्री, एस. 2013. संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत में लिंग चयन एक संदर्भवादी नारीवादी दृष्टिकोण, यूसीएलए जर्नल ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड फॉरेन अफेयर्स, 61य 61–85।

WIKIPEDIA
The Free Encyclopedia



ADVANCED SCIENCE INDEX